



जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया
Jananayak Chandrashekhar University, Ballia

पत्रांक-ज०एन०सी०य०/आर०कम्प(सा०प्र०)/५३४४/२०२१ दिनांक: २१ नवम्बर, २०२१

कार्यालय-झाप

एतद्वारा महाविद्यालयों के छात्रों द्वारा दिये गये प्रत्याखेदन दिनांक: १८ नवम्बर, २०२१ के अनुक्रम में सत्र २०२१-२२ में छात्र संघ चुनाव हेतु जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया की चुनाव नियमावली विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अत्येतर कार्यवाही हेतु प्रख्यापित/अपलोड की जा रही है।

संकायाध्यक्ष
(छात्र कल्याण संकाय)

कुलसचिव

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

१. माननीय कुलपति जी।
२. जिलाधिकारी, बलिया।
३. पुलिस अधिकारी, बलिया।
४. प्राचार्य/प्राचार्या, समस्त अनुदानित महाविद्यालय, बलिया।
५. प्रभारी वेबसाइट को विश्वविद्यालय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
६. सम्बन्धित पत्रावली।
७. सूचना पट्ट।

संकायाध्यक्ष
(छात्र कल्याण संकाय)

कुलसचिव

**जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया
छात्र संघ नियमाबली**

जासननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया तथा सम्बद्ध महाविद्यालयों में राज 2018-19 में छात्र संघ चुनाव कराने हेतु नियन्त्रित नियमाबली विश्वविद्यालय की कारो परिवर्त द्वारा दिनांक 18 अगस्त, 2018 को संचालित की गयी है। विश्वविद्यालय तथा सम्बद्ध महाविद्यालयों के छात्रसंघों के चुनाव इसी नियमाबली से नियंत्रित होंगे। सामान्य परिस्थितियों में राजस्व सम्बद्ध महाविद्यालयों में छात्रसंघ चुनाव कराया जाना आवश्यक होगा।

1. नाम— संख्या का नाम जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया / महाविद्यालय (महाविद्यालय का नाम)छात्रसंघ होगा।
2. उद्देश्य :-
 - 2.1— संघ के सदस्यों की औद्दिक, नैतिक, शाश्वतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक उन्नति के लिए प्रयत्न करना।
 - 2.2— संघ के सदस्यों के जनतानिक चरित्र के लिए प्रयत्न करना।
 - 2.3— राजा के सदस्यों की राजनीताक शक्ति के प्रिकारा के लिए प्रयत्न करना।
3. सदस्यता :-
 - 3.1— जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया / महाविद्यालय के सभी नियमित छात्र (एक वर्ष से कम अवधि वाले पाठ्यक्रम में नामांकित छात्र/छात्राओं को छोड़कर) सम्पूर्ण छात्र संघ के सदस्य होंगे। सम्बन्धित छात्र संघ की सदस्यता विश्वविद्यालय / महाविद्यालय में संस्थागत विद्यार्थियों (एक वर्ष से कम अवधि वाले पाठ्यक्रम में नामांकित छात्र/छात्राओं को छोड़कर) के लिए अनिवार्य होंगी।
 - 3.2— जो छात्र किसी न्यायालय द्वारा नीतिक दुराचार के जून के लिए दोषी घोषिये गये हों या विश्वविद्यालय से दुराचार के कारण निलम्बित / निष्कासित किये गये हों वे छात्रसंघ के पदाधिकारियों के चुनाव में भाग लेने से बंधित होंगे।
4. पदाधिकारी :-
 - 4.1— (1) अध्यक्ष (2) उपाध्यक्ष (3) महामंत्री (4) पुस्तकालय मंत्री।
 - 4.2— छात्रसंघ के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महामंत्री, पुस्तकालय मंत्री, संकाय एवं छात्रावास होने की स्थिति में संकाय प्रतिनिधि एवं छात्रावास प्रतिनिधि का चुनाव प्रत्यक्ष होगा। उपर्युक्त पदाधिकारियों का कार्यकाल सातांत्र पर समाप्त हो जायेगा परन्तु प्रतिवर्ष यह होगा कि प्रत्येक सत्र में एक ही बार नियोजित सम्पन्न कराया जायेगा।
 - 4.2.1— छात्र संघ चुनाव के प्रत्येक पद के चुनाव मत पत्र में 'उपर्युक्त में से कोई नहीं' (None of the Above (NOTA)) का विकल्प अनिवार्य है।
 - 4.3— छात्रसंघ का कोई पदाधिकारी जिसके विरुद्ध अनुज्ञासनात्मक कार्रवाई प्रारम्भ की गयी हो एवं विश्वविद्यालय / महाविद्यालय द्वारा उसे निलम्बित घोषिया गया हो, वह अपने समस्त अधिकारों से इस दोषान बंधित रहेगा तथा इस स्थिति में पैकिटिक व्यवस्था करने का अधिकार कुलपति / प्राचार्य को रहेगा।
 - 4.4— चुनाव सम्पन्न होने के दो माह के भीतर किसी भूल्य पदाधिकारी का पद रित होने की दशा में पुनः चुनाव कराया जाना चाहिए अन्यथा यथास्थिति के अनुसार उपाध्यक्ष को अध्यक्ष पद पर तथा पुस्तकालय मंत्री को महामंत्री पद पर प्रोमोट किया जा सकता है।
- 4.अ. प्रत्याशियों के लिए अहंकार :-
 - 4.अ.1. स्नातक स्तर के छात्र/छात्राओं के लिए चुनाव लड़ने की आयु सीमा 17 से 22 वर्ष अधिक स्नातक छाप्ट-1 में प्रयेत्र से 3 वर्ष के अन्दर, जो भी पहले हो, होगी। व्यावसायिक परिवर्ती / महाविद्यालयों में जाहीं पाठ्यक्रम की अवधि द्वाये 4 से 5 वर्ष की होगी, यह आयु सीमा 17 से 24 वर्ष अधिक स्नातक छाप्ट-2 में प्रयेत्र से 4/5 वर्ष के अन्दर, जो भी पहले हो, होगी।
 - 4.अ.2. स्नातकोत्तर स्तर के छात्र/छात्राओं के लिए चुनाव लड़ने की आयु अधिकतम 25 वर्ष अधिक स्नातकोत्तर प्रथम छाप्ट में प्रयेत्र से 2 वर्ष के अन्दर, जो भी पहले हो, होगी।

- 4.अ.३.ऐसे पाठ्यक्रम, जिनमें स्नातक उपयोगी ही प्रदान की जाती है, किन्तु जिनमें प्रवेश की अहंता स्नातक ही होती है— यथा एस-एल.बी., बी.पी.एड. इत्यादि के नियमित छात्र-छात्राओं (एक वर्ष से कम अवधि वाले पाठ्यक्रमों को छोड़कर) के लिए चुनाव लड़ने की आयु सीमा अधिकतम 24 वर्ष ही होगी।
- 4.अ.४. शोध छात्रों के लिए चुनाव लड़ने की आयु सीमा अधिकतम 28 वर्ष अध्या शोध में पंजीकरण से 2 वर्ष के अन्दर, जो भी पहले हो, होगी।
- 4.अ.५.छात्रों/छात्राओं के लिए चुनाव लड़ने के आयु सीमा की गणना नामांकन शिथि से की जायेगी।
- 4.अ.६. चुनाव में उम्मीदवारों के लिए कोई न्यूनतम प्राप्तांक आवश्यक नहीं होगा। किन्तु किसी भी दशा में चुनाव वर्ष में अनुत्तीर्णता अध्या शैक्षिक वकाये की शिथि नहीं होनी चाहिए अन्यथा छात्र चुनाव में भाग लेने के लिए अहं नहीं होगा।
- 4.अ.७. विश्वविद्यालय/महाविद्यालय द्वारा नियमित आवश्यक न्यूनतम उपरिथिति प्रतिशत अध्या 75 प्रतिशत उपरिथिति, दोनों में से जो अधिक हो, पूरा करने वाला छात्र ही चुनाव लड़ सकता है। इस सम्बन्ध में रक्षाम अधिकारी (यथा स्नातकोत्तर विभागाध्यक्ष/संकायाध्यक्ष/निदेशक/महाविद्यालय-प्राचार्य) का प्रमाण-पत्र संलग्न यातना अनिवार्य होगा।
- 4.अ.८. किसी भी छात्र/छात्रा को संघ के पदाधिकारी पद पर चुनाव लड़ने के लिए केवल एक अवसर तथा कार्यवारिष्ठी की सदृश्यता के लिए अधिकतम दो अवसर प्राप्त होंगे। जो छात्र/छात्रा नामांकन गांठी कारी विद्यार्थी, वाराणसी से सम्बद्धता के दौरान चुनाव लड़ सके हैं वो भी द्वारा चुनाव लड़ने के अहं नहीं होंगे। ऐसे छात्र/छात्राएं जो विश्वविद्यालय या इससे सम्बन्धिति किसी भी शैक्षिक सत्त्वा में पुनर्व सह सुके हैं, वे विश्वविद्यालय से सम्बद्ध किसी अन्य संस्था अध्या विश्वविद्यालय में चुनाव लड़ने के अधिकारी नहीं होंगे।
- 4.अ.९. कोई भी सदस्य एक चुनाव में एक ही पद के लिए उम्मीदवार हो सकता है।
- 4.अ.१०. किसी भी उम्मीदवार की दृष्टि अवश्यक उच्चतम नहीं होनी चाहिए। उच्चतम पूर्ण में उसका कोई उच्चतम नहीं चाहता हो अवश्यक समक्षे के लिए दाखिल होती हुआ हो। अध्या उसके विरुद्ध अपराधिक नुकसान लम्बित न हो और अध्या वह किसी आपसीक रूप के लिए दाखिल होती हुआ हो। इनमें से किसी भी शिथि में वह पुनर्व सह सुके होने के लिए अहं नहीं होगा। आपसीधिक मामलों लम्बित होने का आशय यह होगा कि जिस उम्मीदवार के विरुद्ध किसी अपराधिक घारा में पुलिस द्वारा व्यायालय में आदोप पत्र दाखिल हो सकता है वह चुनाव लड़ने के लिए अहं नहीं होगा।
- 4.अ.११. उम्मीदवार के लिए विश्वविद्यालय/महाविद्यालय का पूर्णकालिक नियमित छात्र होना अनिवार्य होगा। दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रम अध्या इसके सम्बन्ध कोई पाठ्यक्रम एवं एक वर्ष से कम अवधि वाले पाठ्यक्रम में नामांकित छात्र चुनाव में उम्मीदवार नहीं हो सकते। अर्थात् जबकी अहं उम्मीदवारों के लिए पूर्णकालिक नियमित एवं कम से कम एक वर्ष के पाठ्यक्रम में नामांकित होना अनिवार्य होगा।
- 4.अ.१२. कोई भी व्यक्ति जो विश्वविद्यालय/महाविद्यालय का पूर्णकालिक नियमित छात्र नहीं है, किसी भी रूप में चुनाव प्रक्रिया में भाग नहीं हो सकता है। इस नियम का उल्लंघन करने वाले के विरुद्ध मामले के अनुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही वी जाएगी।
- 4.अ.१३. उम्मीदवार के लिए नामांकित रूप से स्वरूप होना आवश्यक होगा।
- 4.ब. छात्र—संघ चुनाव एवं छात्र प्रतिनिधि की राजनीतिक दलों से असम्बद्धता (Disassociation of Students' Union Election and Students' Representation from Political Parties)
- 4.ब.१. छात्र—संघ चुनाव में उम्मीदवारों के लिए किसी भी राजनीतिक दल से सम्बद्धता पूर्णतः वर्जित होगी। प्रत्येक उम्मीदवार के लिए इस आशय का धोषणा पत्र कि उसका किसी भी राजनीतिक दल से योई सम्बन्ध नहीं है, अपने नामांकन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- 4.ब.२. चुनाव की सम्पूर्ण अवधि में कोई भी व्यक्ति, जिसका नाम विश्वविद्यालय/महाविद्यालय की छात्र नामांकन पंजिका (Students' Admission Register) में अंकित नहीं है, किसी भी रूप में चुनाव प्रक्रिया में भाग नहीं हो सकता। इस नियम का उल्लंघन करने वाला कोई भी व्यक्ति, उम्मीदवार/छात्र—संगठन का सदस्य अपनी उम्मीदवारी के प्रतिसंहरण/रद्द होने के साथ—साथ मामले के अनुसप्त अपने विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही का भागी होगा।
- 4.ब. चुनाव प्रक्रिया की आवृत्ति एवं अवधि (Frequency and Duration of Election Process):
- 4.ब.१. छात्र—संघ चुनाव वार्षिक होगे। प्रत्येक संक्षिप्तक सत्र में यथासम्भव प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होने की शिथि से 56 दिन के अन्दर चुनाव सम्पन्न करा लिये जाएंगे। यदि किसी अपरिहार्य कारणों से चुनाव सम्पन्न न कराया जा सके तो उस सत्र में संघ निर्वाचित माना जाएगा।

4.3.2. राष्ट्रीय चुनाव प्रतियोगी नामांकन की शिक्षि से लेकर चुनाव परिणाम की घोषणा तक (उम्मीदवारों के प्रधार/मतदाता सम्पर्क की अवधि तहित) 10 दिनों तक होती है। इन्हुंने चुनाव की अधिसूचना और मतदाता रूपी 10 दिनों के दौरान कार्यक्रम के प्रारम्भ होने से 3 दिन पूर्व जारी कर दी जाएगी और अधिसूचना निर्गत होने के साथ ही चुनाव आवार-संहिता लागू भानी जायेगी।

4.3.3. 10 दिनों के चुनाव कार्यक्रम निम्न प्रकार होता है:-

| दिन | कार्य | समय |
|-------------|--|--|
| प्रथम दिन | प्रैहिन प्रपत्र में नामांकन | चुनाव अधिकारी द्वारा निर्धारित तियां जायेगा। |
| द्वितीय दिन | (i) नामांकन पत्रों/संलग्न उस्तापेक्षों की जीवं | " |
| तृतीय दिन | (ii) नामांकन बापती | " |
| | (iii) शेष उम्मीदवारों की पदवार रूपी का प्रकाशन | " |
| दूसरी दिन | (i) मतदान | " |
| | (ii) मतगमन एवं पारिवाम की घोषणा | " |

5. संखाक :—कुलपति रामसत छात्रसंघी (फिल्मियालय/सम्बद्ध महाविद्यालय) के स्थायी संखाक होते।

5.3. राहसंखाक :—फिल्मियालय के स्तर पर संकायालय, छात्रकल्याण एवं महाविद्यालय स्तर पर प्राचार्य सहसंखाक होते।

6. संखाक/सहसंखाक के अधिकार एवं कार्य :-

6.1— फिल्मियालय स्तर पर संखाक तथा महाविद्यालय स्तर पर सहसंखाक, विद्या-नियन्त्रक, चुनाव-अधिकारी तथा आय-व्यय-निरीक्षक वी नियुक्ति करते।

6.2— संखाक/प्राचार्य आवश्यकता होने पर सामान्य सभा की बैठक भुला सकते हैं।

6.3— सामूहिक रूप से कार्यसभिति पर अधिश्यास का प्रस्ताव होने पर संखाक/प्राचार्य स्थायी सामान्य सभा की अव्यक्ति करते अथवा उक्त वार्ता वार्ता की लिए डिस्ट्री अध्यापक वी नियुक्ति करते।

6.4—संखाक विधान वी खातारब्द्य सम्बन्धी अनियम निर्णय लेते।

6.5— ऐप्रानिक रूप से कार्यसभिति द्वारा संघ-कोष से व्यय करने वी असमर्थता की शिक्षि में संखाक/प्राचार्य को उक्त कोष से आवश्यक व्यय करने का अधिकार होता।

6.6—संखाक वी चुनावयापिका—सम्बन्धी विषय पर अनियम निर्णय लेने का अधिकार होता।

6.7— संखाक/प्राचार्य सामान्य सभा द्वारा प्रेषित विषयों पर अनियम निर्णय लेते।

6.8— कुलपति स्वतंत्रता से अव्याधि शिक्षायत प्राप्त होने पर छात्रसंघ के वार्ता वी जीवं करा सकते हैं। यदि जीवं के पश्चात् कुलपति को यह समझान हो जाता है कि छात्रसंघ अनियमित नियमितियों में लिपा है तो कुलपति वी संघ को बंग करने का अधिकार होता, बताते कि तत्सम्बन्धी आदेश कारणसहित लिखित रूप में पारित किया जाय।

7. सामान्य सभा :-

छात्रसंघ वी सामान्य सभा में निम्नलिखित सदस्य होते-

1— छात्रसंघ की समस्त पदाधिकारी ।

2— प्रत्येक छात्रसंघ वी एक-एक प्रतिनिधि, जो प्रत्येक चुनाव आयोगे। इसके अधिकारित पौर्ण छात्राओं, पौर्ण अनुसूचित/जनजाति वी छात्रों/छात्राओं, पौर्ण मेहारी छात्रों तथा एक खेल-कूट वी नायिकियों से जुड़े छात्र/छात्रा का नामांकन कुलपति/प्राचार्य द्वारा किया जायेगा।

8. सामान्य सभा की बैठक :-

8.1— सामान्य सभा वी बैठक शुल्कारणतया अव्याधि वी अनुमति से महामंडी भुतायेंगे परन्तु सामान्य सभा वी बैठक प्रत्येक सत्र में एक बार अनियायीत आहूत की जायेगी।

8.2— विशेष परिस्थिति में सामान्य सभा की पौर्ण सदस्यों के लिखित अनुरोध पर महामंडी को सामान्य सभा वी बैठक भुतायी होती।

- 8.3— सामान्य सभा की बैठक में गणपूरक संख्या पूरे सदस्यों की 1/3 होगी। रथगित बैठक के लिए गणपूर्ति की संख्या आवश्यक न होगी।
- 8.4— सामान्य सभा की बैठक एक सप्ताह और विशेष बैठक 48 घण्टे की अधिक सूचना पर बुलाई जायेगी। सामान्य सभा की अव्यक्तता अव्यक्त हारा तथा अव्यक्त की अनुपस्थिति में उपाव्यक्त हारा की जायेगी। दोनों की अनुपस्थिति में ज्येष्ठतम् छात्रसदस्य हारा अव्यक्तता की जा सकेगी।
9. सामान्य सभा के अधिकार तथा कर्तव्य :—
- 9.1— सामान्य सभा कार्यसमिति के कार्य का लेखा-जोखा लेगी।
 - 9.2— कार्यसमिति हारा पारित बजट को सामान्य सभा अनुमोदित करेगी।
 - 9.3— कार्यसमिति के सदस्यों पर सामूहिक तथा व्यक्तिगत रूप से अधिश्वास का प्रस्ताव पारित करने का अधिकार होगा।
 - 9.4— छात्रसंघ के सामान्य सभा हारा कोई विधान-संशोधन का प्रस्ताव उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई के बहुमत से पारित किया जा सकता है। ताकि प्रत्यक्ष यह प्रस्ताव स्वीकृत होता कार्यपरिषद् को प्रेषित किया जायेगा।
 - 9.5— छात्रसंघ के विधान-संशोधन का अधिकार जननायक चन्द्रशेखर विठ्ठली के कार्यपरिषद् के पास सुरक्षित होगा। कार्यपरिषद् स्वयंनव विधानसंशोधन के लिए सक्षम होगा।
 - 9.6— अधिश्वास प्रस्ताव— कार्यसमिति तथा संघ के निर्वाचित पदाधिकारी के विरुद्ध उपस्थित किया जा सकता है, किन्तु निम्नलिखित में से कोई कारण होना अनिवार्य है—
 - (1) तुराधार
 - (2) संघ के कोष का दुरुपयोग
 - (3) संघ के उद्देश्यों के प्रतिकूल व्यवहार
 - (4) विधान का उल्लंघन
- 9.7—अधिश्वास प्रस्ताव की प्रक्राली :—
- (क) कम से कम 500 सदस्यों के लिए आवेदन पर कार्यसमिति या संघ के किसी पदाधिकारी के विरुद्ध अधिश्वास जन प्रस्ताव सामान्य सभा में लाया जा सकता है।
 - (ख) इसकी सूचना कम से कम एक सप्ताह पूर्व संस्कार, अव्यक्त, उपाव्यक्त, महामंडी तथा संबंधित पदाधिकारियों एवं सभा के समस्त सदस्यों को देना अनिवार्य होगा।
 - (ग) कार्यसमिति/अव्यक्त पर अधिश्वास का प्रस्ताव होने पर संस्कार अथवा उनके हारा नियुक्त व्यक्ति इस सामान्य सभा की अव्यक्तता करेगा।
 - (घ) संघ के सामान्य सभा के सदस्यों की पूर्ण संख्या का 1/3 गणपूर्ति संख्या होगी तथा गणपूर्ति होने पर ही बैठक प्रारम्भ हो सकेगी। उपस्थिति एवं मतदान करने वाले सदस्यों के न्यूनतम् दो तिहाई के बहुमत का निर्णय होने पर ही प्रस्ताव पारित हो सकेगा। यह गुप्त मतदान हारा होगा।
 - (ङ) प्रस्ताव पारित हो जाने पर कार्यसमिति अथवा प्रश्नगत पदाधिकारी जिसके विरुद्ध प्रस्ताव पारित हुआ हो, वह स्वतः भंग अथवा पदब्युत माने जायेंगे। इस स्थिति में कुलपति/प्राचार्य को दैक्षिक व्यवस्था करने का पूरा अधिकार होगा।

10. कार्यसमिति :—

छात्रसंघ के लिए प्रत्यक्ष चुनाव में निर्वाचित अव्यक्त, उपाव्यक्त, महामंडी, पुस्तकालय मंडी, छात्रावासों के प्रतिनिधियों में से एक प्रतिनिधि वो अतिरिक्त समस्त संकायों के प्रतिनिधियों में से कोई दो प्रतिनिधि कार्यसमिति के सदस्य होंगे। जिनकी अधिकाराम् संख्या 11 होगी। इसमें खेलकूद, छात्राओं, अनुसूचित जाति/जनजाति तथा नेहायी छात्रों के बर्ग से न्यूनतम् एक—एक प्रतिनिधि का चुनाव होना अनिवार्य होगा। पदाधिकारियों के अतिरिक्त कार्यसमिति के अस्ति सदस्यों का चुनाव अपने—अपने संबर्ग के प्रतिनिधियों हारा ही होगा।

11. कार्यसमिति की बैठक :—

- 11.1— कार्यसमिति द्वी पैठक सामाजिक अव्यक्ति की अनुमति से महानंदी बुलायेगे। प्रत्येक सत्र में कार्यसमिति की कम से कम दो बैठकों अनियायीत आहूत की जायेगी।
- 11.2— कार्यसमिति को 1/3 सदस्यों के लिखित अनुरोध पर अव्यक्ति को बैठक बुलानी होगी। बैठक की अव्यक्ता अव्यक्ति करने से तथा उनकी अनुपरिधिति से उपायकरण करेगे।
- 11.3— साधारण बैठक 48 घण्टे तथा विशेष बैठक 24 घण्टे की अधिक सूचना पर बुलाई जायेगी।
- 11.4— गणपूरक संघ सदस्यों की 1/3 होगी। समिति बैठक के लिए गणपूर्ति की आवश्यकता नहीं होगी।

12. कार्यसमिति के अधिकार तथा कर्तव्य :—

- 12.1— कार्यसमिति संघ के सदस्यों की पूर्ति के लिए प्रयत्न करेगी।
- 12.2— कार्यसमिति सामान्य सभा द्वारा निर्देशित सभी कार्य करेगी।
- 12.3— कार्यसमिति के सदस्य का सामूहिक तथा व्यक्तिगत संघ से सामान्य सभा के प्रति उत्तरदायी होगी।
- 12.4— महानंदी, छात्रसंघ का बजट कार्यसमिति में प्रस्तुत करेगे। बजट स्वीकृति की सूचना महानंदी संस्थाक/प्राचार्य तथा सामान्य सभा को देंगे।

13. पदाधिकारियों के अधिकार तथा कर्तव्य :—

क— अव्यक्त :—

- 1— अव्यक्त सामान्य सभा तथा कार्यसमिति की बैठक की अव्यक्ता करेगे।
- 2— अव्यक्त घारा 11 में दिये गये प्रावधान की अनुसार कार्यसमिति की बैठक बुलायेगे।
- 3— बैठक की कार्यपाली से सम्बन्धित विषयों पर अव्यक्त का निर्णय अनियम होगा।
- 4— अव्यक्त की बैठकों में केवल निर्णयक भत्ते हेतु का अधिकार होगा।
- 5— अव्यक्त, महानंदी की अनुपरिधिति में कार्यसमिति की अनुमति से कार्यसमिति के किसी सदस्य को महानंदी का कार्य संगीते।
- 6— अव्यक्त सामान्य सभा या कार्यसमिति द्वारा निर्देशित अन्य कार्यों को भी करेगे।
- 7— उपायकरण :—उपायकरण अव्यक्त की अनुपरिधिति में संस्थाक की पूर्वानुमति से अव्यक्त के अधिकारी का उपयोग और वर्तायों का पालन करेगे।
- 8— महानंदी :—

- 1— महानंदी विधानान्वयित दिये गये विषयों के अनुसार सामान्य सभा तथा कार्यसमिति की बैठक अव्यक्त की अनुमति से अधिकारित संघर्ष में सदस्यों की अनुरोध पर बुलायेगे।
- 2— महानंदी कार्यसमिति के सदस्यों के सालाह पर संघ के बजट को हीयार करके सामान्य सभा तथा कार्यसमिति की बैठक में उपस्थित करेगे।
- 3— महानंदी छात्रसंघ के आय-व्यय का व्यौरा होकर कार्यसमिति की अनुमति से वित नियन्त्रक के पास अनुमति के लिए भेजेंगे।
- 4— महानंदी की कार्यसमिति की पूर्व स्वीकृति को दिना भी अव्यक्त की स्वीकृति से कुल ₹0-500/- तक खर्च करने का अधिकार होगा। परन्तु कार्यसमिति की अगली बैठक में इसकी स्वीकृति आवश्यक होगी।
- 5— महानंदी कार्यसमिति तथा सामान्य सभा की बैठक का विषय तैयार करके अगली बैठक में उपस्थित करेगे।
- 6— महानंदी संघ के आय-व्यय का अफेलित नाभिक विवरण अव्यक्त के महान्य से वित नियन्त्रक की स्वीकृति पर संस्थाक/प्राचार्य के कार्यालय में उपस्थित करेगे।
- 7— महानंदी सामान्य सभा तथा कार्यसमिति के प्रति उत्तरदायी होगे।
- 8— मुख्यकालीय मंत्री :—
 - 1— राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय रागस्वाओं के अव्ययनार्थ विचार गोष्ठियों का आयोजन करेगे।
 - 2— व्याख्यानमाला, वाद-विवाद प्रतियोगिता तथा कहानी-निबन्ध आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन करेगे।

3— पुस्तकालय मंत्री संलग्नक/प्राधार्य की अनुमति से अधिकारी छात्र वाल्याण को निर्देशन एवं नियंत्रण में छात्रसंघ परिषद द्वारा नियंत्रण की व्यवस्था करेंगे।

4— पुस्तकालय मंत्री द्वारा विद्युनों के भागण का प्रबन्ध किया जाएगा।

5— पुस्तकालय मंत्री छात्रसंघ के लिए नियंत्रित कोष से बदल करते हुए सभा के पुस्तकालय की स्थापना करने तथा विकास करने का प्रयास करेंगे।

टिप्पणी :-

छात्रोंका धारा—13(घ) जा पदाधिकारी अपने कर्तव्यों का पालन अवधार के माध्यम से संकल्पयात्रा, छात्रकल्याण/प्राधार्य के निर्देशन एवं नियंत्रण में सम्बन्ध करेंगे।

कार्यसमिति का प्रत्येक सदस्य कार्यसमिति तथा सामाजिक सभा के प्रति उत्तरदायी होगा।

महामंत्री तथा पुस्तकालय मंत्री अपने—अपने विभाग के आय—व्यय का प्रारूप कार्यसमिति के सम्मा उपरिक्षण करेंगे।

विभिन्न मदों में खबर करने के लिए पदाधिकारियों को कार्यसमिति सी स्वीकृति सेवी होगी तथा व्यय के उपरान्त समाचारण हेतु अंकेश्वित बाह्यकर तथा व्यय प्रबन्धन प्रस्तुत करना होगा।

14. वित्तनियंत्रक :-

14.1— प्रतिवर्ष चुनाव के पश्चात संलग्नक/प्राधार्य नियमित अव्यापकों में से किसी को वित्त—नियन्त्रक नियुक्त करेंगे। इनका कार्यकाल अगले वित्त—नियन्त्रक की नियुक्ति तक रहेगा।

14.2— वित्त—नियन्त्रक, अव्याप्त, उपचायक तथा महामंत्री या अन्य पदाधिकारियों द्वारा किये गये वैतानिक व्यय के पुर्जों पर हस्ताक्षर करेंगे।

14.3— वित्त—नियन्त्रक की सहूलि एवं सल्लाहक/प्राधार्य की स्वीकृति के बिना सभा के किसी व्यय का मुगलान नहीं होगा। एक बार स्वीकृत अधिन का समाचारण कराये बिना दूसरा अधिन देय नहीं होगा।

14.4— सभा के आय—व्यय की जीवंत करेंगे।

14.5— वित्त—नियन्त्रक संलग्नक/प्राधार्य के प्रति उत्तरदायी होंगे। कुलपरी जीवंत के पश्चात वित्त—नियन्त्रक को पदबद्धत कर सकते हैं।

14.6. चुनाव सम्बन्धी व्यय एवं सेवाएं¹ ‘Election Related Expenditure and Financial Accountability’

14.6.1. छात्र—सभा चुनाव में प्रत्येक उम्मीदवार को लिए अधिकाराम व्यय रुपया ८,५,०००/- अनुमत्य होगी।

14.6.2. चुनाव परियाम भी भोजण के दो सप्ताह के अन्दर प्रत्येक उम्मीदवार को अपना पूर्ण एवं अनिवार्यान्त व्यय—प्रबन्धन (प्रत्यार्थी सदृश अपना व्यय—प्रबन्धन अनिवार्यान्त कर सकता है) वित्तविधायालय/महाविधायालय अधिकारी के सम्मा प्रस्तुत करना होगा। व्यय—प्रबन्धन प्राप्ति के दो दिनों के अन्दर वित्तविधायालय/महाविधायालय अधिकारी अंकेश्वित व्यय—प्रबन्धन लिखित भाषण से प्रकाशित करेंगे ताकि छात्र निकाय का कोई भी सदस्य उसका अपलोड/परीक्षण कर सके।

14.6.3. व्यय—प्रबन्धन प्रस्तुत करने सम्बन्धी उपर्युक्त निर्देश/व्यवस्था का अनुपालन न किये जाने अथवा नियंत्रित नीता से अधिक व्यय किये जाने की स्थिति में सेवाएं उम्मीदवार का नियोजन नियन्त्रक कर दिया जाएगा।

14.6.4. छात्र—सभा चुनाव में किसी भी राजनीतिक दल/संगठन से प्राप्त लोप या उपयोग विवेच रूप से प्रतिवर्तित होगा। केवल छात्र निकायों/संगठनों से प्राप्त स्वैच्छिक अंशदान का उपयोग ही स्वीकार्य/अनुमत्य होगा।

15. वर्द्ध—व्यवस्था :-

15.1—आय के सम्बन्ध— वित्तविधायालय/सम्बन्धित महाविधायालय के प्रत्येक नियमित छात्र (एक वर्ष से कम अवधि के पदाधिकारी को छोड़कर) को प्रवेश के समय 100 रुपये वार्षिक शुल्क अनिवार्य रूप से जगा करना होगा (छात्रसंघ 40रु0, सांस्कृतिक गोपनी 20रु0 प्रतिका 40रु0)।

15.2— वित्तविधायालय/सम्बन्धित महाविधायालय तथा अन्यत्र ने प्राप्त धन सम्बन्धित छात्रसंघ के लोप में जगा होगा। इन नियमों में वित्तसमिति की संस्तुति पर कार्यवरिष्ठि वरिकर्ता कर सकती है।

16. बजट :-

16.1— अन्य पदाधिकारियों से व्यारोपण करते हुए महामंत्री बजट रीयार करेंगे और उसको कार्यसमिति द्वारा संस्तुत करेंगे।

16.2— कार्यसमिति से स्वीकृत बजट की सुधाना संलग्नक/प्राधार्य तथा सामाजिक सभा को एक सप्ताह के अन्दर महामंत्री अंकेश्वित होगा। यदि किसी सदस्य द्वारा इनमें कोई आवश्यि उठाई जायेगी तो संलग्नक/प्राधार्य का निर्भय अंकेश्वित होगा।



17. आकिंट :-

- 17.1- बजट में प्राक्षणित गदों एवं धनराशि के अन्तर्गत ही व्यय किया जा सकेगा।
17.2- पूर्व में दिए गये अग्रिम लक्ष्य का मुकाबला अंकेक्षण के उपरान्त ही समायोजित हो सकेगा।

18. आव-व्यय का विवर :-

- 18.1- बजट में प्राक्षणित गदों एवं धनराशि के अन्तर्गत ही व्यय किया जा सकेगा। संघ का सेवा विभ-नियन्त्रक के मालबाल और जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया के विभ विभाग/सम्बन्धित महाविद्यालय में रहेगा। पूर्व में लिए गये अग्रिम लक्ष्य का मुकाबला अंकेक्षण के उपरान्त समायोजित हो सकेगा। बिना अंकेक्षण के मुकाबला नहीं होगा।
- 18.2- व्यय का मासिक विवरण महामंडी विभ-नियन्त्रक के मालबाल से विभ विभाग में प्रस्तुत करेंगे।
18.3- विभ-नियन्त्रक इस बात का व्यावरण रखेंगे के जिस गद में गुल्म लिया जाय उसी नद में व्यय हो।

19. सामाजिक विवर :-

- 19.1- छात्रसंघ को बोई भी ऐसा कार्य करने का अधिकार नहीं होगा जो जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया के विभाग हो।
- 19.2- छात्रसंघ जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया/सम्बन्धित महाविद्यालय के बाहर के किसी संगठन से सम्बद्ध नहीं किया जा सकता है।

20. मुनाव अधिकारी के कार्यवाच्य तथा अधिकार :-

- 20.1- संस्कार/प्राचार्य प्रतिवर्ष जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया/महाविद्यालय के नियमित अव्यापकों में से किसी भी भी मुनाव अधिकारी नियुक्त करेंगे एवं मुनाव अधिकारी की संस्तुति पर संस्कार/प्राचार्य हाता अधिकारी 5 सहायक मुनाव अधिकारी नियुक्त किये जायेंगे। मतदान अधिकारीयों की नियुक्ति मुनाव अधिकारी वी संस्तुति पर संस्कार/प्राचार्य हाता भी जायेगी।
- 20.2- मुनाव अधिकारी मुनाव सम्बन्धी सूचनाएं प्रसारित करेंगे।
- 20.3- मुनाव अधिकारी प्रत्येक नामांकन पत्र पर निर्णय लेंगे।
- 20.4- मुनाव अधिकारी मुनाव प्रतिवर्ष का संकालन करेंगे तथा मुनाव सम्बन्धी प्रत्येक नामांकन पर निर्णय देंगे।
- 20.5- मुनाव अधिकारी मुनाव यात्रिता पर निर्णय के लिए समिति नियुक्त करेंगे या स्थान ही निर्णय देंगे।
- 20.6- मुनाव अधिकारी नामांकन भी लिखि कम से कम 3 दिन वहसे घोषित करेंगा। नामांकन के दूसरे दिन दस्तावेजों भी जीव सत्त्व तीसरे दिन नाम दापसी भी प्रतिवर्ष सम्बन्ध होती। मतदान आरम्भ होने से 30 घण्टे पूर्व प्रधार चन्द्र हो जायेगा। नामांकन के दसरे दिन मतदान होगा। मतदान के बाद यात्राशीघ्र मतगणना करायी जायेगी। मतगणना के तत्काल पश्चात् मुनाव अधिकारी हाता मुनाव परिणाम घोषित किया जायेगा।
- 20.7- मुनाव सम्बन्धी नियनों का उल्लंघन करने पर मुनाव अधिकारी किसी छात्र के विस्तृत अनुशासनात्मक कार्यवाही करने ली संस्तुति संस्कार से कर सकते हैं। इसके साथ ही मुनाव अधिकारी किसी छात्र की उम्मीदवारी रद्द कर सकते हैं।
- 20.8- मुनाव प्रतिवर्ष के सम्पादन हेतु मुनाव अधिकारी, संस्कार की स्थीरता से निर्भित एवं स्थीरता आधार संकेता घोषित करेंगे, उसका पालन करना राष्ट्रीय प्रत्यासियों एवं सामाजिक सदस्यों के लिए अभियार्थी होंगा।
- 20.9- स्थान पर नियन्त्रण मुनाव करने हेतु नियन्त्रण अधिकारी को यथावसित उपाय लागू करने का अधिकार होगा।

21. विविध :-

- 21.1- समस्त संकाय प्रतिविधियों के नियांचन में उम्मीदवार होने तथा मत देने के सम्बन्धित संकाय/प्राविधिकमों का नियमित छात्र (एक वर्ष से कम अवधि याते पाल्यान्तरी की ओढ़कार) होना अभियार्थी होगा।
- 21.2- मतदान मुश्त प्रणाली से होगा।
- 21.3- मुनाव में सांकेतिक मत प्राप्त करने वाला विजयी घोषित विनाया जायेगा।
- 21.4- एक ही याद के उम्मीदवारों को बराबर मत मिलने पर उस पद के लिए लाठरी पद्धति से निर्णय कराया जायेगा।
- 21.5- मतपत्रों पर नियन्त्रित रांगना द्वारा विभिन्न मतदान घोषित पर मुनाव अधिकारी या उसके हाता नियुक्त अधिकारी प्रत्येक उम्मीदवार या उसके प्रतिविधि को मुनाव प्रावस्थ होने के पश्चात् तुरन्त देंगे।

- 21.6— भावान के परिणाम भावेटिका पर सुनाय अधिकारी अपनी मुहर उम्मीदवारों या उनके प्रतिनिधियों के समान लगा देंगे। उम्मीदवारों या उनके प्रतिनिधियों को भी भावेटिका पर अपनी मुहर लगाने/हस्ताक्षर करने का अधिकार होगा।
- 21.7— भावेटिका की सुलभ की विषयेदारी सुनाय अधिकारी उभा भावान अधिकारी पर होगी। भावेटिका उम्मीदवारों या उनके प्रतिनिधियों के समान लोटी जाएगी।
- 21.8— नतमणना के समय सुनाय अधिकारी पर उसका एक प्रतिगिरि उपरिभूत रह सकेगा। उनको आवश्यकता पड़ने पर भावान भी देखने का अधिकार होगा।
- 21.9— **निवापन याचिका :-**
सुनाय वरिष्ठान से असनुष्ट उम्मीदवार को परिणाम पौष्टि होने के तीन बाबाह के अन्दर अपनी याचिक शिकायत निवालन प्रकोष्ठ (Grievance Redressed Cell) के समान प्रस्तुत करनी होती। याचिका की जीव एवं उसपर निर्णय के लिए विवाहाता निवालन प्रकोष्ठ निर्विवित प्राविधि के अनुसार वार्तायाढ़ी करेगा।
- 21.10— इस जाल्यादेश में जिन बातों का उल्लेख नहीं है तात्सम्बन्धी निर्णय संस्थान के दोषाधिकार में होगा।
- नियमित व्यवस्था 'Law and Order'**
- 22.1— सुनाय अधिकारी ने विश्वविद्यालय परिवार में विधि व्यवस्था बनाये रखने की विषयेदारी कुलानुग्रहक की एवं नहाविदालय में सम्बन्धित घटावर्ती होगी।
- 22.2— किसी भी प्रकार से विधि व्यवस्था बनाये या आवश्यक पटना होने पर तत्सम्बन्धी सूचनादिविदिवालय/नहाविदालय परिविकारी (कुलानुग्रहक/प्राविधि) शीघ्रतापीप, अधिकारी 00 घण्टे के अन्दर, तथानीय पुलिस को देखित करें।
- 22.3— सुनाय अधिकारी ने संलग्न विषयों अधिकारीये एवं उनकी विधि व्यवस्था की संरक्षण करना पुलिस अधीकार/सेवाविकारी का दायित होगा जो नकार तथा नकारन के नाम पर उनके आवाय-पात्र आवश्यकतानुसार पर्याप्त पुलिस बल की तैनात करने ताकि वोई अधिक/आवश्यक पटना न हो याए।
- 22.4— छात्रसंघ सुनाय के इवाजी वर्दि सूत्र गण्ड-पत्र देने तो उनके विश्व विश्वविद्यालय/नहाविदालय द्वारा विशेष वर्द्धयाही लिय जाना अनिवार्य होगा।
- 22.5— वर्दि सूत्र सूत्रवर्ती/सुनाय अधिकारी या अन्य वोई अधिकारी छात्र संघ सुनाय नियमकों का उल्लंघन करता है तो विकासत प्राप्त होने पर संकायाभ्यु, उत्तर कल्यान सकृद जननायक पञ्चांशील विश्वविद्यालय, विविध द्वारा इसकी सुनाय विश्वविद्यालय कोर्ट विभृत की दी जाएगी।
- 22.6— विधि व्यवस्था से सम्बन्धित तभी आवश्यक सूचनाय कुलानुग्रहक/प्राविधि द्वारा स्थानीय पुलिस को दी जायेगी।
- निवालन प्रकोष्ठ (Grievance Redressed Cell) :**
- 23.1— विश्वविद्यालय का एक शिकायत निवारण प्रकोष्ठ होगा जो एक नियमित इकाई के रूप में कार्य करेगा। विश्वविद्यालय छात्र कल्यान अधिकारी (Dear Students' Welfare) इस प्रकोष्ठ के अध्यक्ष होंगे जो कुलपति के अनुमोदन से विश्वविद्यालय के एक वरिष्ठ विकार, एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी एवं दो अनिमान वर्दि के विद्यार्थी (एक छात्र एवं एक छात्रा) की सदस्य के रूप में नामित करें। छात्र एवं छात्रा मेहम और/या पूर्ण वर्ष में पाठ्यक्रम से सम्बन्धित क्रियाकलापों में भागीदारी/योगदान के आवाय पर नामित किये जायेंगे और उनकी सदस्यता सुनाय परिणाम की घोषणा तक ही रहेंगी। प्रकोष्ठ सुनाय आवाय-सहित के उल्लंघन एवं सुनाय सम्बद्धी व्यव फैलाने के बास्तों के साथ-साथ अन्य तभी शिकायतों/बास्तों के निवालन के लिए अधिदेशित (Minded)/अधिकृत होगा।
- प्रत्येक महाविद्यालय का आवाय एक शिकायत निवारण प्रकोष्ठ होगा, जो एक नियमित इकाई के रूप में कार्य करेगा। महाविद्यालय के विद्यार्थियों की साल्कारीक एवं कल्याणकारी भावितव्यों का प्रभासा प्रब्ल्यूम्फ (Teacher Incharge of Student Affairs) शिकायत निवारण प्रकोष्ठ वा अध्यक्ष होगा। एक वरिष्ठ प्रशासनिक एवं एक वरिष्ठ प्रशासनिक आधिकारी प्रकोष्ठ के सदस्य होंगे। महाविद्यालय में प्रशासनिक अधिकारी नहीं होने की स्थिति में एक अन्य वरिष्ठ प्रशासनिक प्रकोष्ठ वा सदस्य होगे। इसके अधिरिक्त अनिमान वर्दि के दो विद्यार्थी— एक छात्र एवं एक छात्रा शिकायत निवालन प्रकोष्ठ के सदस्य होंगे। छात्र एवं छात्रा मेहम और/या पूर्ण वर्ष में पाठ्यक्रम से सम्बन्धित क्रियाकलापों में भागीदारी/योगदान के आवाय पर नामित किये जाएंगे और उनकी सदस्यता सुनाय परिणाम की घोषणा तक ही प्रभावी होगी। शिकायत निवारण प्रकोष्ठ के अध्यक्ष प्राचार्य के अनुमोदन से सदस्यों को नामित करेंगे।

- 23.2** अपने कर्तव्यों के अनुपालन में वह प्रकोष्ठ सुनाय आवार-सहित के लिए भी प्राकाशन/उपकान अधिका प्रकोष्ठ के लिए भी निर्णय/निर्देश का उत्पादन करने वाले व्यक्ति के विषय अभियोजन की कार्रवाई करेगा। प्रकोष्ठ एक मूल दोषाधीक्षक वाल न्यायालय वी सह करेगा। विषयाधीयालय के सुनाव वापरकी लिए भी बास्ते/विवाद में नियमों एवं तथ्यों के अस्तित्व/संदर्भ में प्रकोष्ठ हासा लिये गये अनियम निर्णय के विषय लिये गये अपील पर सुनावाई का अधिकार होगा। सुनावाई वापरक वापरकालीन प्रकोष्ठ हासा दिये गये रूपरूप में परिवर्तन अस्था उसे रद्द कर सकते हैं।
- 23.3** प्रकोष्ठ अपने कर्तव्यों के पालन में अभियोजन की कार्रवाई एवं बास्ते वी सुनावाई वी आवारक प्रक्रिया पूरी करेगा। इस कार्य के सम्बद्ध में उसी निम्नलिखित अधिकार होगे—
- (i) प्रकोष्ठ आवारक वापरक वाली कर उम्मीदवारों, उनके अधिकारीयों एवं कार्रवाईकी वी अपने सम्बुद्धता होने के लिए वायर कर सकता है एवा आउ-आउओं से उपरियत होकर वाहय एवं अग्रिमत्र प्रस्तुत करने के लिए अनुरोध कर सकता है।
 - (ii) प्रकोष्ठ उम्मीदवारों के सुनाव सम्बन्धी प्रतिवेदनों एवं वित्तीय लेखा-जीवा की जीव कर सकता है तथा अभिलेखी की राजीवाचिक वीग पर अस्तित्वाली उपलब्ध करा सकता है।
- 23.4** प्रकोष्ठ के अवधा या सादस्य वायर कोई विकायल दर्ज नहीं कर सकते। सुनाव परिवान वी वापरक से अधिकार तीन सप्ताह के अन्दर कोई अन्य आउ-आउ विकायल दर्ज करा सकता है। सभी विकायलों विकायलकर्ता के नाम से दर्ज होती है। विकायल प्राप्ति के 24 घण्टे के अन्दर प्रकोष्ठ अपनी कार्रवाई शुरू कर देगा। या तो विकायल खारिज की जाएगी या उपर दुनावाई वी प्रक्रिया प्राप्तम की जाएगी।
- 23.5** प्रकोष्ठ लिए विकायल को खारिज कर सकता है, यदि
- (i) विकायल उपरोक्त विन्दु संख्या-12.4 पर उल्लिखित समय-सीमा के अन्दर प्रेषित नहीं की गयी हो।
 - (ii) विकायल कार्रवाई के लिए उपर वारण चताने में विफल रहता है जिसमें राहत वी जा सकती हो।
 - (iii) विकायलकर्ता को लिए प्रकार से खोट नहीं पहुँची हो या हड्डी नहीं हुई हो या हड्डे के समावना न हो। अर्थात् विकायलकर्ता पर कोई विशेष वापर नहीं पहुँचा हो या नहीं पहुँचे की समावना हो।
- 23.6** यदि विकायल खारिज नहीं हुई तो प्रकोष्ठ वापरक वी सुनावाई करेगा। प्रकोष्ठ वारियाई पक्ष (Complain Party) एवं परिवाद (Complaint) में नामित व्यक्तियों/शाही की सुनावाई के वापर एवं समय की सुनाव लिखित अपारा ई-मेल हाल देगा। सम्बन्धित पक्ष तब तक अधिसूचित नहीं भागे जाने वाले जबतक कि उन्हें परिवाद वी एक प्रति प्राप्त न हो जाए।
- 23.7** सुनावाई अधिकारीय वी जाएगी न कि उपरोक्त विन्दु संख्या-12.4 पर उल्लिखित विकायल प्राप्ति के 24 घण्टे के अन्दर। एंगेप्लाई वी राहत वी जाएगी न कि उपरोक्त विन्दु संख्या-12.4 पर उल्लिखित विकायल प्राप्ति के 24 घण्टे के अन्दर।
- 23.8** सुनावाई वी सुनाव लिखित करते समय प्रकोष्ठ, बहुगत से, कोई अस्थायी प्रतिवेदनकर्ता/ विकायल आदेत परिवर्त तब सकता है यदि वह निमित्त वाला है कि ऐसी कार्रवाई लिए भी अधित अस्था सता (Issue) पर पड़ने वाले अनुपरि अपारा प्रतिकूल प्रयाप को सेकने के लिए आवश्यक है। ऐसा कोई भी अस्थायी आदेत एक बार परिवर्त हो जाने वार तब तक प्राप्ति रहेगा जबतक कि सुनावाई के पश्चात प्रकोष्ठ अपना नियम न सुना हो या प्रकोष्ठ उसे निरस्त न कर दे।
- 23.9** प्रकोष्ठ वी सारी सुनावाई, कार्रवाई वी राया वैदिक सभी के लिए सुनी होगी।
- 23.10** प्रकोष्ठ वी सुनावाई के दीर्घन उसी पक्ष उपरियत रहेगी। वे अपने सावध लिए भी जा सकते हैं जिससे उन्हें सलाह लिल सकती हो, और अपनी जात उस सलाहकार के महायम से भी रह सकते हैं।
- 23.11** लिए भी सुनावाई में प्रकोष्ठ के सदस्यों के बहुगत की उपरियत अधिकारी होगी और प्रकोष्ठ के अपारा वैदिक वी अनुपरिवर्ती ने उनको हासा अधिकृत सादरव वैदिक वी अस्थाया करेगी।
- 23.12** सुनावाई का प्राप्तम प्रकोष्ठ वायर करेगा। उपरक्ष के लिए वह जरूरी होगा कि वह नियमिक वापरक के सम्बल सलाहीर उपरियत सोबत लिखित परिवाद (Complaint), प्रतिवाद (Rept.), वापरक (Violation) एवं पुनरुत्पाद (Revolving) की महायम से गुणी वी अपनी-अपनी विवेदन प्रस्तुत करें। सुनावाई के दीर्घन प्रकोष्ठ कोई भी लिख कर वाकता है। सुनावाई का उद्दीर्ण लिखित विकायल एवं नियम/आदेत परिवर्त करने के लिए सुनावाई एवं राया एकत्रित करना है ताकि सम्बन्धित विवाद का निपटान विका जा सके। हासा वैदिक वी पूर्ण के लिए भी सुनावाई वी निम्नलिखित विवाद सामू होंगे—

- (i) शिकायतकर्ता पक्ष को दो से अधिक गवाह पेश करने की अनुमति नहीं होगी। किन्तु प्रकोष्ठ आवश्यकतानुसार जितने गवाह चाहे युला सकता है। यदि सुनवाई के समय गवाह स्वयं उपस्थित होने में असमर्थ हो तो वह अपनी गवाही हस्ताक्षरित शपथ-पत्र के साथ प्रकोष्ठ के अवधार के समझ प्रेषित कर सकता है।
- (ii) उभयपक्ष के सभी प्रश्न एवं उनकी सारी विवेचनाएँ प्रकोष्ठ को सम्बोधित होंगी।
- (iii) सुनवाई के दौरान उभयपक्ष एवं उनके गवाहों के बीच सीधी वार्ता अथवा जिरह नहीं होगी।
- (iv) प्रकोष्ठ हारा उचित समय-सीमा निर्धारित की जा सकती है यशस्वी उभयपक्ष को न्यायोचित एवं समान अवसर मिले।
- (v) प्रमाण प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी शिकायतकर्ता पक्ष की होगी।
- (vi) प्रकोष्ठ का निर्णय, आदेश एवं व्यवस्था उपस्थित सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति अथवा बहुमत से पारित होगा और उसकी घोषणा सुनवाई की समाप्ति के बाद शीघ्रतापूर्वक की जाएगी। निर्णय की घोषणा से 12 घण्टे के अन्दर प्रकोष्ठ पारित व्यवस्था के सम्बन्ध में लिखित राय जारी करेगा जो उसके द्वारा पाये गये सदस्यों एवं उनके पक्ष में लिये गये विधिक निष्कर्षों को स्थापित करेगा। प्रकोष्ठ की यह लिखित व्यवस्था अगले तीन चुनावों तक नज़ीर बनकर प्रकोष्ठ की कार्यवाहियों में मार्गदर्शन करेगी। ऐसे निर्णय को प्रकोष्ठ सम्बन्धित विवारोपरान्त आगे की कार्यवाही में नकार भी सकता है किन्तु ऐसा करने के लिए उसे समुचित कारणों को लिखित रूप में दर्ज करना होगा।
- (vii) यदि प्रकोष्ठ के निर्णय के विरुद्ध कुलपति के समझ अपील की जाती है तो प्रकोष्ठ को अविलम्ब अपने पारित निर्णय/आदेश की एक प्रति कुलपति के विचाराधी प्रेषित करना होगा।
- (viii) प्रकोष्ठ नामले वी प्रकृति, गम्भीरता एवं उससे हुए व्यवहार के लिए यथोचित उपाय या दण्ड का चयन करेगा। संनादित उपाय या दण्ड के रूप में अर्धदण्ड, चुनाव प्रचार के अधिकार वा निलम्बन/निषेध एवं चुनाव के लिए अयोग्य घोषित करना हो सकता है। किन्तु ये दण्ड यहीं तक सीमित नहीं हो सकते।
- (ix) जिसी भी उम्मीदवार पर लगाये गये अर्धदण्ड वी कुल राशि चुनाव में उनके लिए अनुमत्य व्यय सीमा से अधिक नहीं हो सकती।
- (x) यदि सुनवाई के बाद प्रकोष्ठ यह पाता है कि किसी उम्मीदवार या उसके अभिकर्ता या कार्यकर्ताओं द्वारा चुनाव नियमावली के क्रावधान/उपबन्ध का उल्लंघन हुआ है तो वह उस उम्मीदवार, उसके अभिकर्ता या कार्यकर्ता के प्रधार तामची कुछ या सभी किया-कलापों पर चुनाव प्रक्रिया वी सम्पूर्ण अवधि अथवा शेष अवधि के लिए प्रतिबन्ध लगा सकता है। यदि ऐसा आदेश केवल शेष अवधि के एक अंश वी लिए जारी होता है तो वह तत्काल प्रभाव से लागू होगा ताकि आशिक अवधि की समाप्ति पर उम्मीदवार को प्रधार कार्य पुनः चुरू करने का अवसर मिले जो उसे मतदान की तिथि तक शेष अवधि के लिए प्राप्त होगा।
- (xi) यदि सुनवाई के बाद प्रकोष्ठ पाता है कि चुनाव नियमावली के क्रावधानों/उपबन्धों या प्रकोष्ठ के निर्णय/टिप्पणियों/आदेशों या दी गयी व्यवस्था वा किसी उम्मीदवार, उसके अभिकर्ता या कार्यकर्ता द्वारा जानबूझ कर और खुल्लम-खुल्ला उल्लंघन हुआ है या उनकी अवहेलना की गयी है तो प्रकोष्ठ उस उम्मीदवार को अयोग्य घोषित कर सकता है।
- (xii) प्रकोष्ठ के निर्णय से पीड़ित वी भी पक्ष निर्णय की घोषणा के 24 घण्टे के अन्दर कुलपति के समझ अपनी अपील कर सकता है। ऐसे सभी नामलों में जिसमें प्रकोष्ठ की तुटि का आरोप हो, प्रकोष्ठ के निर्णय पर विवार करना एवं अनितम निर्णय करना कुलपति के विवेकावली अपीलीय क्षेत्राधिकार में होगा।
- (xiii) प्रकोष्ठ का निर्णय तब तक बहाल/परी तरह प्रभावी रहेगा जब तक कि कुलपति द्वारा अपील की सुनवाई पूरी नहीं हो जाती एवं अनितम निर्णय नहीं ले लिया जाता।
- (xiv) कुलपति अपील की सुनवाई यथाशीघ्र करेंगे किन्तु यह आवश्यक नहीं कि ऐसा प्रकोष्ठ द्वारा शिकायतकर्ता एवं कुलपति को सीधे गये निर्णय की प्रति प्राप्ति के 24 घण्टे के अन्दर हो। अपील पर इसकायतकर्ता एवं कुलपति को सीधे गये निर्णय की प्रति प्राप्ति के 24 घण्टे के अन्दर हो। अपील पर इस अवधि के पहले भी सुनवाई हो सकती है यदि शिकायतकर्ता प्रकोष्ठ के निर्णय की लिखित प्रति की प्राप्ति के अपने अधिकार को ल्याग दे और कुलपति इसपर सहमत हो।
- (xv) कुलपति प्रकोष्ठ द्वारा पारित आदेश को निलम्बित कर सकते हैं या उसके प्रभावी होने पर तब तक के लिए रोक लगा सकते हैं जब तक अपील पर अनितम निर्णय न ले लिया जाय।
- (xvi) अपील प्रेषित होने पर कुलपति प्रकोष्ठ के निष्कर्षों का पुनरावलोकन करेंगे। कुलपति को प्रकोष्ठ के निर्णय की पुष्टि करने का, उसे बदलने/उल्लंघन एवं लगाये गये दण्ड में संशोधन करने का पूर्ण अधिकार होगा।
- (xvii) अपील के सभी नामलों में कुलपति का निर्णय अनितम होगा।

24. उम्मीदवारों के लिए आधार-सौंहिता (Code of Conduct for the Candidates) :

- 24.1- किसी भी उम्मीदवार के लिए जारी, सम्प्रदाय, पर्म, हीड़ एवं गांधी शब्दों के आधार पर छात्र-छात्राओं के बीच आवश्यकीय पृष्ठा, वैमानिक या तानाव पैदा करना अथवा तानाव प्रेरित करने वाली विविधियों में समिलित होना शर्तीय घर्जित होगा।
- 24.2- अन्य उम्मीदवारों/प्रतिनिधियों की आलोचना, उनकी नीतियों, कार्योंजनाओं तथा पूर्ण की रूचि एवं कार्य के परिणाम तक ही रीमिट होगी। अन्य उम्मीदवारों या उनके समर्थकों के व्यक्तिगत जीवन के ऐसे रूपी पहलु विशेष रामबन्ध उनके सार्वजनिक जीवन के क्रियाकलालों से न हो, की आलोचना या रूपी उम्मीदवारों को पहुंच देना होगा। असत्यप्रियता या तोड़-गठोड़ कर लगाये गये आरोपों के आधार पर आलोचना या भी चर्चा होता। किसी भी उम्मीदवार का चरित्र हनन करना घर्जित होगा।
- 24.3-माता प्राप्ति के लिए जातिगत या सम्प्रदायिक भावना उपलब्ध होने वाली अधीक्षा घर्जित होगी। विश्वविद्यालय या महाविद्यालय परिषर के अन्दर या बाहर किसी भी पूजालालस का चुनाव प्रधार के लिए प्रयोग घर्जित होगा।
- 24.4- रूपी उम्मीदवारों के लिए किसी भी प्रकार के कदाचार्युर्ण आवरण और अपराध में सांतिपता घर्जित होगी। गतदाताओं की रिक्ता देना, प्रमाणान्, अन्य गतदाता के बदले मात्रान् करना, गतदाता केंद्र के 100 भीटर के दायरे में प्रवाल अथवा गतदाता सम्पर्क करना, गतदाता रामायण के पूर्ण के 30 घटों की अवधि में जनसत्ता करना, तथा गतदाता केंद्र तक गतदाताओं को पहुंचाना या लाने-ले जाने के लिए बाहर की सुकृति प्रदान करना पूर्णतः घर्जित होगा।
- 24.5- चुनाव प्रधार अथवा गतदाता सम्पर्क हेतु एवं तुरं विज्ञापन, पर्वी या अन्य किसी भी प्रकार की मुद्रित प्रधार रामबन्ध का प्रयोग सभी उम्मीदवारों के लिए घर्जित होगा। केवल हस्तालिखित विज्ञापनों/प्रधार रामबन्धियों के प्रयोग की अनुमति होगी, वहाँ ये नियमित रूप से रीता के अन्दर प्राप्त किये गये हों।
- 24.6-उम्मीदवार हस्तालिखित विज्ञापनों का प्रयोग/प्रदर्शन विश्वविद्यालय/महाविद्यालय परिषर में रामबन्ध चुनाव अधिकारी द्वारा पूर्ण से विनिष्ट/प्रीवित रूपान् पर ही बार सकते हैं। रूस्ता के नियमों एवं उसकी वाहारदीपारी के भीतरी एवं बाहरी राजाओं पर प्रधार के लिए कुछ भी विवादा/विवकाना घर्जित होगा।
- 24.7-उम्मीदवारों के लिए विश्वविद्यालय/सम्पर्क नहाविदातान् परिषर से बाहर जुलूस निकलना, रामा आवैजित करना, प्रधार करना या प्रधार रामबन्ध का विवादा उसका सर्वतो घर्जित होगा।
- 24.8- किसी अन्य रामबन्ध/एजेन्सी के लगाये गये विज्ञापनपट्ट को गत प्राप्ति के लिए न हो रंग जायेगा और न उसपर कुछ लिखा जायेगा।
- 24.9- कोई भी उम्मीदवार या उसका समर्थक विश्वविद्यालय/महाविद्यालय की किसी भी सम्पत्ति को विस्तृप्त अथवा नष्ट नहीं करेगा और न ही उसमें अधिकारी की लिखित अनुमति के दिन उनका उपयोग करेगा। विश्वविद्यालय/महाविद्यालय की सम्पत्ति को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाने की दशा में रूपी उम्मीदवार अलग-अलग और संतुलित रूप से विभागाद छोड़े। नुकसान की वरपाई के सम्बन्ध में सम्बन्धित रामबन्ध के अधिकारी नियम/कार्यवाही करेंगे।
- 24.10- उम्मीदवारों के लिए वठन-पठन के बीच बद्दा में प्राप्तकर प्रधार/गतदाता सम्पर्क करना या बद्दा की शान्ति भंग करना सर्वतो घर्जित होगा। बद्दा विस्तृप्त होने के बाद अथवा गत्याकरण में जब बद्दाये न हो प्रधार/गतदाता सम्पर्क किया जा सकता है।
- 24.11- चुनाव की अवधि में उम्मीदवार जुलूस और/अथवा जनसत्ता आयोजित कर रखते हैं बहाँ बद्दाये, अन्य शीक्षक कार्यक्रम एवं प्राप्तकरण से सम्बन्धित डिज्ना-कलाप किसी भी रूप में बाधित न हो। राम ही ऐसे आयोजन विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के रामबन्ध अधिकारी की लिखित अनुमति प्राप्त होने पर ही किये जा सकते हैं। ऐसे जुलूस अथवा जनसत्ता में वाह्य व्यक्तियों का प्रवेश या उनकी भागीदारी घर्जित होगी।
- 24.12- पूरी चुनाव अवधि में किसी भी उम्मीदवार को केवल एक बार ही जुलूस निकलने अथवा जनसत्ता करने की अनुमति होगी। ऐसी जनसत्ता में उम्मीदवार को अपनी गोगता प्रदर्शित करने को लिए गापण देने का केवल एक अवसर दिया जायेगा और ऐसा सम्बन्धित चुनाव अधिकारी या उनके प्रतिनिधि की उपलिखित में ही होगा। इसके लिए राम-शीणा सम्पर्क चुनाव अधिकारी द्वारा नियमित की जायेगी।
- 24.13- चुनाव प्रधार के लिए लाताडस्टीकर, बालवंती, बाहनी एवं पशुओं का प्रवेश सर्वतो घर्जित होगा।
- 24.14- पुरुष प्रत्यक्षियों या उनके समर्थकों के लिए नहिला छात्रावास में चुनाव प्रधार/गतदाता सम्पर्क के लिए प्रवेश घर्जित होगा।
- 24.15- चुनाव की अवधि में उम्मीदवार या उनके समर्थकों के लिए विश्वविद्यालय/महाविद्यालय परिषर में किसी भी प्रकार का हवियार/अनेकास्त्र सत्ता या उसका प्रयोग करना सर्वतो घर्जित होगा। इस नियम का उल्लंघनकर्ता सख्त दण्डालनका कार्यवाही का गगड़ी होगा।

24.16— मतदान के दिन छात्र संगठन एवं उम्मीदवार—

- (i) चुनाव अधिकारी के साथ राहगीर करते हुए यह शुभेच्छा करते हैं कि चुनाव आनंदपूर्वक एवं अवशिष्ट रूप संपन्न हो।
- (ii) प्रयोगल को अतिरिक्त वित्ती भी प्रकार ना भोजन प्रदान, दोस या सरल, ये वित्ती नहीं करते।
- (iii) कोई प्रशार सामग्री वित्ती नहीं करते।

24.17— मतदाताओं के अतिरिक्त कोई भी अन्य व्यक्ति विश्वविद्यालय/महाविद्यालय चुनाव अधिकारी द्वारा निर्गत पास/अधिकार—पत्र के बिना मतदान केन्द्र में प्रवेश नहीं करते।

24.18— कुलपति द्वारा आवश्यकतानुसार नियुक्त निष्पत्र पर्याप्तक चुनाव पर नज़र रखते। चुनाव सम्बन्धन से सम्बन्धित यदि कोई शिकायत/समस्या हो तो कोई भी उम्मीदवार उसे पर्याप्तक के संकाग में सा सकता है।

24.19— आचार—सहिता का पालन करना सभी उम्मीदवारों, उनके समर्थकों, मतदाताओं एवं साधारण सदस्यों के लिए अनिवार्य होगा।

24.20— सभी उम्मीदवारों योग इस आशय का एक शापथ—पत्र अपने नामांकन पत्र के साथ जमा करना होगा कि उन्होंने छात्र—संघ चुनाव आचार—सहिता को पूरी तरह से पढ़—समझ लिया है तथा वे उसका पालन करने का व्यवन देते हैं और यदि किसी प्रकार से आचार—सहिता का उल्लंघन होता है तो उन्हें चुनाव से विचित/बहिष्कृत कर दिया जाय।

24.21— उपरोक्त वित्ती भी नियम का उल्लंघन होने की दशा में सम्बन्धित उम्मीदवार वी उम्मीदवारी निरस्त जी जा सकती है अथवा वित्ती भी पद पर हुआ उनका निर्वाचन निरस्त किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय/महाविद्यालय पदाधिकारी उनके विरुद्ध समुचित अनुशासनात्मक कार्यवाही भी कर सकते हैं।

24.22— उपरोक्त वित्ती भी नियम का पालन करना भी उम्मीदवारों एवं उनके समर्थकों/मतदाताओं के लिए अनिवार्य होगा।

24.23— उपरोक्त आचार—सहिता के अतिरिक्त भारतीय वर्षा विधान, 1860 के कलिपय प्राक्तनों (धारा—153—, तथा अव्याय—D.A.—चुनाव सम्बन्धी अपराध) का प्रयोग भी छात्र—संघ चुनाव में किया जा सकता है।

(नोट—छात्रसंघ नियमावली के संदर्भ में वित्ती भी संशय की लिखति में लिखदौड़ सकिति के प्रतिवेदन का अंगूजी संस्करण ही मान्य होगा।)



संकायालय
(छात्र उत्पालन संकाय)